कार्यालय प्रबन्ध संचालक
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय– बिजली नगर कॉलोनी,निष्ठा परिसर,
गोविंदपुरा,भोपाल. 462023
सीआईएन –U40109MP2002SGC015119
फोन आफिस 0755–2602033–34 फैक्स – 2589821
वेबसाइट : www.mpcz.co.in
प्रकाश एवं विकास
ISO 9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008प्रमाणित)

क्रमांक / प्रसं. / म.क्षे. / स्था. / आर.आई.01 / 4212 भोपाल, दिनाँक : 21-06-18

आदेश

1. कंपनी के आदेश क्र. प्रसं / मक्षे / स्था. / आरआई–01 / 15240–41 दिनांक 17.07.2017 द्वारा कंपनी से दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को देय पेंशन एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत देय है।

2. म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ9–6 / 2017 / नियम / चार दिनांक 04 जून 2018 के अनुरूप एवं कंपनी के आदेश क्रमांक प्रसं / मक्षे / स्था. / आरआई–01 / 15240–41 दि. 17.07.2017 के अनुक्रम में कंपनी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् सेवानिवृत्त कार्मिकों / दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को पेंशन / परिवार पेंशन पर आगामी आदेश तक निम्नानुसार मंहगाई राहत देय होगी एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी इसी दर से मंहगाई राहत देय होगीः–

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह 0
छठवें वेतनमान में देय मंहगाई राहत की दर दिनांक 01.07.2017 से	पेंशन / परिवार पेंशन का 139% (वृद्धि 03%)
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई राहत की दर दिनांक 01.07.2017 से	पेंशन / परिवार पेंशन का 5% (वृद्धि 01%)

3. माह जुलाई 2017 से मई 2018 तक की अवधि की देय राशि का भुगतान माह जून 2018 के देय पेंशन के साथ एकमुश्त नगद किया जावेगा।

4. उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring) असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी।

5. ऐसे मामलों में जहाँ पेंशन / परिवार पेंशनभोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुनर्नियुक्त है, वहाँ पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।

6. कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति / पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।

...2..

8. मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

9. पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन आर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (Before commutation) की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार,

सही/-

महाप्रबंधक (स्थापना)

क्रमांक/प्रस./म.क्षे./स्था./आर.आई.01/4213 भोपाल, दिनाँक : 21-06-18

प्रतिलिपि :–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.) म.प्र. पावर मैनेजमेंट/पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर।
3. कार्यपालक निदेशक (मा.सं./प्रशा.) म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. जबलपुर।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.) म.प्र.पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि.,जबलपुर/इंदौर।
5. निदेशक (तकनीकी), कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
6. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
7. मुख्य महाप्रबंधक (मासंप्र)/(प्रोक्यूरमेंट)/(शहरी परियोजना)/(ग्रामीण परियोजना)/(एम एण्ड बी.एम.)/(एस.एम.एण्ड ओ),कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
8. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे.)/(ग्वा.क्षे.), म.प्र.म.क्षे.वि.वित.कं.लिमि.,भोपाल/ग्वालियर।
9. निदेशक (पी.डी.टी.सी.एस.), म.प्र.म.क्षे.वि.वित.कं.लिमि.,भोपाल ।
10. उप मुख्य महाप्रबंधक (फीडर विभक्तिकरण), कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
11. अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, चाँदबड़ भोपाल।
12. महाप्रबंधक (स्थापना)/(भर्ती एवं सिविल)/(विधिक मामले)/(प्रशासन)/(वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
13. महाप्रबंधक (शहर)/(संचा./संधा)/(सिविल)/(सतर्कता)/(भंडार), वृत्त म.प्र.म.क्षे.वि.वित.कं.लिमि.,.....
14. महाप्रबंधक (क्षेत्रीय कार्यालय), ई–4, अरेरा कॉलोनी, म.प्रपावर मैनेजमेंट कं.लिमि. भोपाल।
15. अति. मुख्य/अति. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल/ग्वालियर।
16. सचिव, म.प्र.विद्युत नियामक आयोग, मेट्रो प्लाज़ा,चतुर्थ एवं पंचम तल,ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल।
17. अति./उप महाप्रबंधक (स्था.) कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
18. वरि. प्रकाशन अधिकारी,कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
19. समस्त लेखाधिकारी/प्रबंधक, लेखा इकाई (मु.ले.इ.)/(भो.क्षे.)/(ग्वा.क्षे.)/(संचा./संधा.)/(शहर), वृत्त म.प्र.म.क्षे.वि.वित.कं. लिमि. ....।
20. कंपनी सचिव/ वेबमास्टर/निज सचिव/गोपनीय अधिकारी, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
21. प्रबंधक(मा.सं.)–........., म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. ....।
22. अनुभाग अधिकारी (स्थापना)/(गोपनीय शाखा), कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
23. आदेश नस्ती/अतिरिक्त प्रति/डाटा सेल।

महाप्रबंधक (स्थापना)